आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024/03395

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषय :–सत्र 2024–25 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की संशोधित दिनांक के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः–आयुक्तालय के आदेश क्रमांक/राजकाज न. 11978650 दिनांक 26.11.2024 को जारी ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर–तृतीय), तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) का ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगाः–

क.सं.	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर–III), स्नातक पार्ट तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	17.12.2024 से 24.12.2024
2.	स्नातक पार्ट द्वितीय (सेमेस्टर–III), स्नातक पार्ट तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए ई–मित्र पर फीस जमा करवाना।	17.12.2024 से 24.12.2024

इसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम(सेमेस्टर–I), स्नातक पार्ट द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी एवं इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा ई–मित्र पर पोस्ट किया जायेगा। ई–मित्र पर फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्र/इलेक्ट्रोनिक मीडिया /दूरभाष/सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.12.16 22:52:42 IST
Reason: Approved

विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवेश सम्बन्धी लिये गये निर्णयों के अध्याधीन रहेगा। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय क` प्रो. विवेक मण्डोत (नोडल अधिकारी–ऑनलाईन एडमिशन)/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में दूरभाष नं0 (0141–2706106) या ई–मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्व प्रक्रिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, समय सारणी अनुसार प्रक्रिया सम्पन्न करावें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर नियमानुसार अतिरिक्त कक्षाऐं लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

जिन महाविद्यालयों के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो0 विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

क्रमांकः एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024/03395

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ट निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यवाही एवं ई–मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो0 विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक

Signature valid

Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.12.16 22:52:42 IST
Reason: Approved